

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.10(7)नविवि / 3 / 2009पार्ट—III

जयपुर, दिनांक 11 MAY 2017

आदेश

राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम—2010 (संशोधित), जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम—2013, ग्रेटर भिवाड़ी भवन विनियम—2013 एवं मॉडल राजस्थान भवन विनियम—2013 (जयपुर, जोधपुर एवं भिवाड़ी को छोड़कर अन्य प्रथम श्रेणी के शहरों के लिए) एवं मॉडल स्थानीय निकाय (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम—2010 (1.00 लाख से कम आबादी के शहरों के लिए) की तालिका 1 के क्रम संख्या (क) (i) एवं (ii) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:—

क्र. सं.	उपयोग का प्रकार भूखण्ड का क्षेत्रफल	अधिकतम आच्छादित क्षेत्र	न्यूनतम सैट बैंक्स (मी.)				अधिकतम ऊँचाई	मानक एफ.ए.आर.
			सामने	पाश्व	पाश्व	पीछे		
(क) (i)	90 व.मी. तक	—	—	—	—	—	8 मी.	जो भी प्राप्त हो (प्रत्येक मंजिल पर अधिकतम 1 ईकाई देय होगी)
(ii)	90 व. मी. से ज्यादा परन्तु 100 व.मी. तक	सैट बैंक क्षेत्र के अन्दर	3.0	—	—	1.5	8 मी.	जो भी प्राप्त हो (प्रत्येक मंजिल पर अधिकतम 1 ईकाई देय होगी)

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
 11/5/17  
 (राजेन्द्र सिंह शेखावत)  
 संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. सचिव, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर / अजमेर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
9. रक्षित पत्रावली।

1  
2 11/11/2021  
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम